आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 103/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा न्यू सांगानेर रोड, जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

(1) मैसर्स श्री श्याम इन्टरनेशनल (जरिये भागीदार)

(अ) श्रीमती प्रभा शर्मा पत्नी श्री दिनेश शर्मा

(ब) संजय शर्म पुत्र. श्री राम प्रसाद शर्मा

(स) श्रीमती वीना चावला पत्नी श्री प्रमोद कुमार

83/27 अरावली मार्ग, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जिला जयपुर ।

(2) श्री सिद्वार्थ सेठिया पुत्र श्री विवेक सेठिया

83/27 अरावली मार्ग, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

आदेश दिनांकः 27.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.10.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी संजय शर्मा पुत्र श्री राम प्रसाद शर्मा के स्वामित्व की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर जीएफ 08, भू तल, सुशान्त प्लाजा, सुशान्त सिटी मावचा, कालवाड रोड जिला जयपुर क्षेत्रफल 374.04 वर्गफिट को बन्धक कर टर्म लोन में राशि 15,00,000/–रुपये व केश केडिट में राशि 1,50,00,000/–रूपये इस प्रकार कुल राशि 1,65,00,000/–की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned by CamScanner

पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को टर्म लोम व केश केडिट में कुल 1,65,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 1,58,40,086/—रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी संजय शर्मा पुत्र श्री राम प्रसाद शर्मा के स्वामित्व की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर जीएफ 08, भू तल, सुशान्त प्लाजा, सुशान्त सिटी माचवा, कालवाड रोड जिला जयपुर क्षेत्रफल 374.04 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 27.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned by CamScanner